

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
RAILWAY BOARD**

No. 2015/TG-IV/13/6

New Delhi, dated 11/07/2017

**The General Managers  
All Indian Railways**

(Commercial Circular No. 50 of 2017)

**Sub: Policy on Rail Display Network**

**Preamble**

The Ministry of Railways have decided that, Indian Railways will strive to increase Non Fare Revenue by monetizing assets and undertaking other revenue yielding activities. The proposed Rail display network will enable real time flow of information to passengers and also unlock Digital advertising potential which will lead to increased non fare revenue.

**Objective**

The objective of this policy is to explore non fare revenue through Rail Display Network (RDN) project. The entire exercise shall be cost neutral to Railway.

**1. Key deliverables of RDN**

- 1.1 RDN shall integrate the existing rail passenger associated information at railway stations across India
- 1.2 RDN shall have central as well as screen level display capabilities with real time feeds to provide an option of giving customized information directly to the relevant set of passengers e.g. charting information.
- 1.3 RDN shall provide information related to arrivals, departures and running status of trains including expected delays and other relevant information like platform numbers, coach guidance, RAC Confirmation, etc.

- 1.4 RDN shall provide information pertaining to passenger comfort, amenities and passenger safety messages.
- 1.5 RDN shall provide disaster relief updates in case of emergencies to all concerned.
- 1.6 RDN shall display relevant information for and from various departments of Indian Railways.
- 1.7 RDN shall be controlled via a centralized network under RailTel, in which video and audio information and content shall be provided across A1 to D Category stations in various languages. RDN can also be extended to other categories of Stations with mutual consent.
- 1.8 The proposed Rail Display Network shall be utilized to display Railway information as detailed in paras 1.3-1.6 and will not be less 50% in terms of time and/or space which shall be prescribed by RailTel.
- 1.9 The remaining time/space shall be utilized by the licensee to display advertisements, social messages, etc.

## **2. Nodal agency**

- 2.1 Ministry of Railways have appointed RailTel or its wholly owned subsidiary to implement and manage RDN as the Nodal Agency.
- 2.2 An agreement shall be signed between Ministry of Railways and RailTel or its wholly owned subsidiary which shall detail the responsibilities and rights of both sides including the Revenue Share of the RDN Project.
- 2.3 Railtel shall frame the technical specifications of the project, operation and maintenance requirements, role/responsibility/obligations, service level standards and protocol for operation of the system which the licensee will be under contractual obligation to comply.
- 2.4 RailTel shall conduct the tendering process for selection of implementation partner and evaluate proposals on the basis of technical feasibility and generation of maximum financial revenue for the Indian Railways.

- 2.5 Railtel shall implement the project by inviting an open and transparent tender, compliant with all the extant guidelines of Government of India, CVC and GFR.
- 2.6 RailTel will ensure that it has proper control over the system at all times to ensure that the project and contract deliverables are ensured.

### **3. Contract Tenure**

- 3.1 RailTel or its wholly owned subsidiary shall implement and manage RDN for a period of ten years which may be extended for a period of five years with mutual consent between Indian Railways and RailTel on mutually acceptable terms and conditions which will be reviewed and can be revised if required.

### **4. Rollout**

- 4.1 Indian Railways shall have an incremental approach for rollout of RDN with the broad sequence of rollout being Category 'A1' stations followed by Category 'A' stations, then Category 'C' Stations which shall be specified in the RFP. Remaining stations in Category 'B' and Category 'D' shall be covered in the second phase. The timeline will not exceed a maximum of two years for each phase from the beginning of the contract. Additional time will be provided for other category of Stations. Penalties shall be levied for violation of timeline.

### **5. Technology & Content Delivery Platform**

- 5.1 Rail Display Network screens shall display content through audio and video systems. The Licensee will be permitted to use technology specified in tender document and will also be allowed to upgrade it at any point in the contract period.
- 5.2 The RailTel and the Licensee shall be responsible for installing and supplying the Content Delivery Platform and Auction Engine required for successful operations of RDN.

- 5.3 The Content Delivery Platform shall be able to access, schedule and trigger the display screens from a remote central location.
- 5.4 The Licensee shall adhere to the implementation plan as mentioned by RailTel in the Tender document.
- 5.5 RailTel shall utilize its backbone optical transport network to provide a centralized information dissemination platform that would be providing contextual information that is customized to individual screen level across different categories of stations across Railways.

#### **6. Installation of Equipment and provision of space at stations**

- 6.1 The licensee shall be responsible for installation of Rail Display Network equipment and will bear the entire cost.
- 6.2 Indian Railways will provide built space, without charge, of 200 sq. ft. at each station for ICT equipment's and associated power supply, spares and for maintenance engineer. If built space is not available at any station, RailTel will be provided with equivalent area to construct a structure to house the required facilities.

#### **7. Security of Equipment**

- 7.1 Indian Railways shall take feasible steps to ensure safety of the installed equipment. However, the licensee shall be responsible for insuring all assets.

#### **8. Electricity/ Power Supply**

- 8.1 Indian Railways shall provide electricity/power supply to the licensee at a lump sum charge only for consumption of electricity, as per the relevant policy. The Electricity/Power connection and its usage charges to RailTel shall be provided by IR on same terms and conditions as extended to IRCTC (RB's letter no 2006/TG-III/648/13 dt 2.11.2006).

## **9. Permitted Audio Levels**

- 9.1 RailTel shall describe the exact, permissible audio levels in Decibels in the Tender Document.**

## **10. Cyber Security Measures**

- 10.1 RailTel will lay down detailed measures for ensuring security of the RDN system from any possible attempts to takeover control of the system by unauthorised sources and to ensure that the system can be isolated to prevent any hostile remote takeover of the system and the system goes in Fail Safe mode.**

## **11. Content Specifications**

- 11.1 The licensee shall display video and audio content services as per extant, relevant guidelines based on Government prescribed norms for public usage.**

## **12. Display of Railway/ Railway approved Information**

- 12.1 The licensee shall allow free of cost dissemination of Railways and Railway approved information on the RDN screens in 50% in terms of time and/or space which shall be detailed in the tender document.**
- 12.2 The licensee shall ensure Content Delivery Platform technology and setup is capable to broadcast Railways or Railway approved messages live.**
- 12.3 RailTel will ensure that the licensee adheres to the contract conditions by deploying its personnel in the Network Operations centre for constant monitoring.**
- 12.4 The system will have capability of allowing intervention, for purposes of accessing the display system by Railways, at various levels of Ministry, Zonal Railways, Divisions and stations.**
- 12.5 Ministry of Railways shall provide all relevant inputs to RailTel, which is required to be displayed for the information of passengers without any charge.**
- 12.6 Ministry of Railways will nominate a Steering Group at the Divisional and Zonal levels besides the Railway Board level to ensure smooth roll out of the project. The Steering group will be consisting of representatives of Railways (comprising Commercial,**

S&T, Electrical and Engineering officers), RailTel and licensee to ensure the primary objective of the RDN of providing accurate and relevant Railway information to passengers is met. The Steering Group shall meet on a regular basis as mutually decided by Indian Railways and RailTel or earlier on a need basis.

The indicative list of matters to be deliberated and procedure/guidelines prescribed by the Steering Group including but not limited to:

- (a) Ensuring passengers get accurate and relevant information and sources of information and its presentation are continuously improved.
- (b) Project Management and resolution of issues affecting the rollout of the project.
- (c) Operations aspects like metrics for measurement of services so as to maintain the project goals.
- (d) Finance aspects relating to the project and to ensure its financial sustainability.


### **13. Advertisement**

- 13.1 No static advertisement shall be allowed inside the station premises.
- 13.2 RDN shall be the exclusive advertising medium at the Stations which includes station building, concourses, platforms, FoBs but excludes circulating areas. However, RDN display screens would be permitted on a separate structure immediately adjacent to station building near the entrance to the concourse/platforms, only if placing of such boards is not feasible on the building due to heritage structure, facade, etc. and not more than two such RDN display screens will be permitted at each entrance of a Station.
- 13.3 The licensee shall display advertisements through the content services only as per relevant Ministry of I&B, Department of Electronics and Information Technology (DeITY) and Government guidelines.

**14. Revenue Share**

- 14.1 A hybrid revenue share model of Gross Revenue from the Project shall be adopted where the licensee will be required to quote a Fixed Minimum Guarantee.
- 14.2 The revenue share between Ministry of Railways & RailTel from RDN project shall be in proportion of 65:35. The licensee shall develop necessary software to track revenue generation with adequate check mechanism and audit trail. This system shall be monitored by RailTel.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

  
Executive Director (Traffic Commercial)  
Non fare Revenue  
Railway Board

No. 2015/TG-IV/13/6

New Delhi, Dated: 11.06.2017

Copy to: FA&CAO, All Indian Railways, for information & necessary action.

  
For Financial Commissioner, Railway Board

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2015/टीजी-IV/13/6

नई दिल्ली, दिनांक: 11.07.2017

महाप्रबंधक,  
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.50)

विषय: रेल डिस्पले नेटवर्क संबंधी नीति।

प्रस्तावना

रेल मंत्रालय द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि भारतीय रेल परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण और राजस्व सृजन संबंधी अन्य कार्यकलापों के जरिए गैर किराया राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयास करती रहेगी। प्रस्तावित रेल डिस्पले नेटवर्क से यात्रियों को समय पर सूचना मिलेगी और साथ ही डिजिटल विज्ञापन संभावना भी बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप गैर किराया राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य रेल डिस्पले नेटवर्क (आरडीएन) परियोजना के जरिए गैर किराया राजस्व का पता लगाना है। इस पूरी प्रक्रिया की लागत रेलवे द्वारा वहन नहीं की जाएगी।

1. रेल डिस्पले नेटवर्क की मुख्य विशेषताएं:

- 1.1 रेल डिस्पले नेटवर्क में देशभर में रेलवे स्टेशनों पर रेल यात्रियों से संबंधित मौजूदा सूचना समेकित की जाएगी।
- 1.2 रेल डिस्पले नेटवर्क में सेंट्रल और स्क्रीन लेवल डिस्पले क्षमताएं होंगी जो यात्रियों को सीधे ही चार्टिंग जैसी कस्टमाइज़ सूचनाएं सही समय पर मुहैया कराई जाएंगी।
- 1.3 रेल डिस्पले नेटवर्क में गाड़ियों के आगमन, प्रस्थान और चालन स्थिति से संबंधित सूचनाएं मुहैया कराई जाएंगी, इनमें गाड़ियों के संभावित विलंब और प्लेटफार्म नंबर, कोच गाइडेंस, आरएसी कन्फर्मेशन, आदि जैसी अन्य संगत सूचनाएं भी शामिल हैं।



- 1.4 रेल डिस्पले नेटवर्क में यात्रियों के आराम, सुविधाओं से संबंधित सूचनाएं और यात्री संरक्षा संबंधी संदेश मुहैया कराए जाएंगे।
- 1.5 रेल डिस्पले नेटवर्क में आपातकालीन स्थिति में सभी संबंधितों को आपदा राहत संबंधी अद्यतन सूचनाएं मुहैया कराई जाएंगी।
- 1.6 रेल डिस्पले नेटवर्क में भारतीय रेल के विभिन्न विभागों से और विभ्ररगों के लिए संगत सूचनाएं डिस्पले होंगी।
- 1.7 रेल डिस्पले नेटवर्क को रेलटेल के अंतर्गत केंद्रीकृत नेटवर्क के जरिए नियंत्रित किया जाएगा, जिसमें ए1 से डी श्रेणी के सभी स्टेशनों पर विभिन्न भाषाओं में वीडियो एवं ऑडियो सूचना तथा विषय-वस्तु मुहैया कराई जाएंगी। रेल डिस्पले नेटवर्क का आपसी सहमति से अन्य श्रेणी के स्टेशनों पर भी विस्तार किया जा सकता है।
- 1.8 प्रस्तावित रेल डिस्पले नेटवर्क का रेलवे सूचना डिस्पले करने में उपयोग किया जाएगा, जिसका वर्णन पैरा 1.3 से 1.6 में किया गया है जो समय और/या स्थान के संदर्भ में 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा, जिसे रेलटेल द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- 1.9 शेष समय/स्थान पर विज्ञापन, सामाजिक संदेशों आदि के डिस्पले के लिए इसे लाइसेंसधारक द्वारा उपयोग किया जाएगा।

## **2. नोडल एजेंसी**

- 2.1 रेल मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में आरडीएन को कार्यान्वित एवं संचालित करने के लिए रेलटेल या इसके समग्र स्वामित्व की सहायक कंपनियां नियुक्त की गई हैं।
- 2.2 रेल मंत्रालय और रेलटेल या इसके समग्र स्वामित्व की सहायक कंपनियों के बीच करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसमें आरडीएन परियोजना के राजस्व की हिस्सेदारी सहित दोनों पक्षों के उत्तरदायित्वों और अधिकारों का उल्लेख होगा।
- 2.3 रेलटेल द्वारा परियोजना की तकनीकी विशिष्टियां, परिचालन एवं अनुरक्षण आवश्यकताएं, भूमिका/ उत्तरदायित्व/बाध्यताएं, सेवा स्तर मानक और प्रणाली के परिचालन के लिए प्रोटोकॉल तैयार किए जाएंगे, जिनका लाइसेंसधारी को संविदागत बाध्यताओं का अनुपालन करना होगा।
- 2.4 भारतीय रेल के अधिकतम वित्तीय राजस्व की तकनीकी व्यवहार्यता और सृजन के आधार पर रेलटेल द्वारा कार्यान्वयन साझेदार और प्रस्तावों के मूल्यांकन के चयन के लिए निविदा प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

2.5 भारत सरकार, सीवीसी और जीएफआर के सभी मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए रेलटेल द्वारा खुली और पारदर्शी निविदा आमंत्रित करके परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

2.6 रेलटेल द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना और ठेका डिलीवरेबल्स की आवश्यकता होने पर यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम पर सदैव समुचित नियंत्रण हो।

### 3. ठेका अवधि

3.1 रेलटेल या इसके समग्र स्वामित्व की सहायक कंपनियां दस वर्ष की अवधि के लिए आरडीएन का कार्यान्वयन और संचालन करेंगी जिसे भारतीय रेल और रेलटेल के बीच पारस्परिक रूप से स्वीकार्य नियमों एवं शर्तों का आपसी सहमति से पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसकी आवश्यकता पड़ने पर समीक्षा की जा सकती है और इसे संशोधित किया जा सकता है।

### 4. रोलआउट

4.1 भारतीय रेल को श्रेणी ए1, श्रेणी ए और श्रेणी सी के क्रम में आरडीएन के रोलआउट के लिए वृद्धिशील दृष्टिकोण रखना होगा, जिसका उल्लेख आरएफपी में किया जाएगा। दूसरे चरण में श्रेणी बी और श्रेणी डी में शेष स्टेशनों को शामिल किया जाएगा। ठेका शुरू होने से प्रत्येक चरण की समय-सीमा दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी। अन्य श्रेणी के स्टेशनों के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। समय-सीमा का उल्लंघन करने पर दंड लगाया जाएगा।

### 5. प्रौद्योगिकी और कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म

5.1 रेल डिस्पले नेटवर्क स्क्रीन ऑडियो और वीडियो सिस्टम के जरिए कंटेंट का डिस्पले करेंगी। लाइसेंसधारी को निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी और ठेका अवधि में किसी भी समय इसे अपग्रेड करने की अनुमति भी दी जाएगी।

5.2 रेलटेल और लाइसेंसधारी आरडीएन के सफल परिचालन के लिए कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म तथा ऑक्शन इंजन की स्थापना एवं सप्लाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

5.3 कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म एक रिमोट सेंट्रल लोकेशन से डिस्पले स्क्रीन तक पहुंच, शेड्यूल और सक्रिय करने के लिए सक्षम होंगी।

5.4 लाइसेंसधारी निविदा दस्तावेज में रेलटेल द्वारा यथा उल्लिखित क्रियान्वयन योजना का अनुपालन करेंगे।

5.5 रेलटेल केंद्रीकृत सूचना प्रसार प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए इसके बैकबोन ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का उपयोग करेगा जो प्रासंगिक सूचना मुहैया कराएगा जिसे विभिन्न



रेलों पर स्टेशनों की विभिन्न श्रेणियों के अलग-अलग स्क्रीन स्तर के लिए कस्टमाइज़ किया गया है।

**6. उपकरण की स्थापना और स्टेशनों पर स्थान का प्रावधान**

6.1 लाइसेंसधारी रेल डिस्पले नेटवर्क उपकरण की स्थापना के लिए उत्तरदायी होंगे और इसकी संपूर्ण लागत वहन करेंगे।

6.2 भारतीय रेल द्वारा आईसीटी उपकरण और इससे संबद्ध पावर सप्लाई, कलपुर्जों और अनुरक्षण इंजीनियर के लिए प्रत्येक स्टेशन पर 200 वर्ग फुट का बिना प्रभार लिए बिल्ट स्पेस मुहैया कराया जाएगा। यदि किसी भी स्टेशन पर बिल्ट स्पेस उपलब्ध नहीं है तो रेलटेल को अपेक्षित सुविधाओं के लिए संरचना के निर्माण के लिए समतुल्य क्षेत्र मुहैया कराया जाएगा।

**7. उपकरणों की सुरक्षा**

7.1 भारतीय रेल संस्थापित उपकरण की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाएगी। बहरहाल, लाइसेंसधारक सभी परिसंपत्तियों का बीमा कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

**8. बिजली/पावर सप्लाई**

8.1 भारतीय रेल संगत नीति के अनुसार बिजली की खपत के लिए केवल एकमुश्त प्रभार पर लाइसेंसधारक को बिजली/पावर सप्लाई मुहैया कराएगी। रेलटेल को बिजली/पावर सप्लाई कनेक्शन और इसके उपयोगिता प्रभार भारतीय रेल द्वारा उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर मुहैया कराए जाएंगे जैसा कि आईआरसीटीसी के साथ निर्धारित किया गया है (रेलवे बोर्ड का दिनांक 02.11.2006 का पत्रसं.2006/टीजी-111/648/13)

**9. अनुमेय ऑडियो स्तर**

9.1 रेलटेल द्वारा निविदा दस्तावेज में अनुमेय ऑडियो लेवल का डेसीबल में सटीक उल्लेख किया जाएगा।

**10. साइबर सुरक्षा उपाय**

10.1 रेलटेल अप्राधिकृत स्रोतों द्वारा सिस्टम का कंट्रोल लेने के किसी भी संभावित प्रयासों से आरडीएन प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत उपाय निर्धारित करेगी और सुनिश्चित करेगी कि सिस्टम के किसी भी प्रकार के शत्रुतापूर्ण रिमोट अधिग्रहण से बचाने के लिए सिस्टम को अलग किया जा सके तथा सुरक्षित किया जा सके।

**11. कंटेंट विशिष्टियां**

11.1 लाइसेंसधारक सार्वजनिक उपयोगिता के लिए सरकार के निर्धारित मानदंडों के आधार पर मौजूदा संगत दिशानिर्देशों के अनुसार वीडियो और ऑडियो कंटेंट सेवाओं का डिस्पले करेंगे।

## 12. रेलवे/रेलवे अनुमोदित सूचना का डिस्पले

- 12.1 लाइसेंसधारक को समय और/या स्थान के संबंध में 50 प्रतिशत में आरडीएन स्क्रीन पर रेलवे और रेलवे अनुमोदित सूचना के निशुल्क प्रसार की अनुमति होगी जिसका निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया जाएगा।
- 12.2 लाइसेंसधारक सुनिश्चित करेंगे कि कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी और सेटअप रेलवे या रेलवे अनुमोदित संदेशों को लाइव प्रसारित करने में सक्षम है।
- 12.3 रेलटेल द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि लाइसेंसधारक सतत निगरानी के लिए नेटवर्क आपरेशन केंद्रों में अपने कर्मचारियों को तैनात करके निविदा की शर्तों का अनुपालन कर रहे हैं।
- 12.4 सिस्टम में मंत्रालय, ज़ोनल रेलवे, मंडल और स्टेशनों के विभिन्न स्तरों पर रेलवे द्वारा डिस्पले सिस्टम तक एक्सेस के प्रयोजनार्थ इंटरवेंशन की अनुमति की क्षमता है।
- 12.5 रेल मंत्रालय द्वारा रेलटेल को सभी संगत सूचनाएं मुहैया कराई जाएंगी, जो बिना किसी प्रभार के यात्रियों की सूचना के लिए डिस्पले की जानी आवश्यक हैं।
- 12.6 रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे बोर्ड के स्तर के अलावा मंडल और ज़ोनल स्तर पर संचालन समूह नामांकित किए जाएंगे ताकि परियोजना का सुगम संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इस संचालन समूह में रेलवे (वाणिज्यिक, सिगनल एवं दूरसंचार, बिजली और इंजीनियरी के अधिकारियों सहित), रेलटेल के प्रतिनिधि और लाइसेंसधारी शामिल होंगे ताकि यात्रियों को सटीक और संगत यात्री सूचना मुहैया कराने के लिए रेल डिस्पले नेटवर्क के प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। संचालन समूह द्वारा जरूरत के आधार पर भारतीय रेल और रेलटेल द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित नियमित आधार पर बैठकें आयोजित की जाएंगी।

संचालन समूह द्वारा विचार किए जाने वाले मामलों और निर्धारित की गई प्रक्रिया/दिशानिर्देशों की संकेतात्मक सूची निम्नानुसार है परंतु यह केवल यहीं तक सीमित नहीं है:

- (क) यह सुनिश्चित करना कि यात्रियों को सटीक और संगत सूचना मिलेगी तथा सूचना के स्रोत तथा इसके प्रस्तुतिकरण में निरंतर सुधार होगा।
- (ख) परियोजना प्रबंधन और समस्या के समाधान से परियोजना की प्रगति प्रभावित होगी।
- (ग) सेवाओं के मापन के लिए मेट्रिक्स जैसे परिचालनिक पहलु ताकि परियोजना के लक्ष्य बनाए रखे जा सकें।
- (घ) परियोजना से संबंधित वित्तीय पहलु और इनकी वित्तीय संधारणीयता सुनिश्चित करना।



### 13. विज्ञापन

- 13.1 स्टेशन परिसर के भीतर किसी स्थैतिक विज्ञापन की अनुमति नहीं होगी।
- 13.2 रेल डिस्पले नेटवर्क से स्टेशन बिल्डिंग, कॉनकोर्स, प्लेटफार्मों, ऊपरि पैदल पुलों सहित, परंतु परिचलन क्षेत्रों को छोड़कर, स्टेशन पर अनन्य विज्ञापन माध्यम होगा। बहरहाल, रेल डिस्पले नेटवर्क की स्क्रीन कॉनकोर्स/प्लेटफार्म के प्रवेश-द्वार के निकट स्टेशन बिल्डिंग के पास एक अलग स्ट्रक्चर पर लगाने की अनुमति होगी और वह भी यदि धरोहर संरचना, अग्रभाग आदि के कारण बिल्डिंग पर बोर्ड लगाना व्यावहारिक होगा। प्रत्येक स्टेशन के प्रवेश द्वार पर दो से अधिक रेल डिस्पले नेटवर्क की स्क्रीन लगाने की अनुमति नहीं होगी।
- 13.3 लाइसेंसधारक द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार केवल कंटेंट सेवाओं के जरिए विज्ञापनों का डिस्पले किया जा सकता है।
- ### 14. राजस्व में हिस्सेदारी
- 14.1 परियोजना से सकल राजस्व के हाइब्रिड राजस्व में हिस्सेदारी के मॉडल को अपनाया जाएगा, जिसमें लाइसेंसधारक द्वारा निश्चित न्यूनतम गारंटी का उल्लेख करना अपेक्षित होगा।
- 14.2 आरडीएन परियोजना से रेल मंत्रालय और रेलटेल के बीच राजस्व में हिस्सेदारी 65:35 के अनुपात में होगी। लाइसेंसधारक पर्याप्त जांच तंत्र और लेखा सत्यापन सहित राजस्व सृजन पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर तैयार करेगा। इस प्रणाली पर निगरानी रेलटेल द्वारा रखी जाएगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

हस्ता ७  
कार्यपालक निदेशक (यातायात वाणिज्य)  
गैर किराया राजस्व  
रेलवे बोर्ड

सं.2015/टीजी-IV/13/6

नई दिल्ली, दिनांक: 11.07.2017

प्रतिलिपि प्रेषित: एफए एवं सीएओ, सभी भारतीय रेलों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

हस्ता ०  
कृते वित्त आयुक्त, रेलवे बोर्ड